निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 153/2020 तारीख दायरा 15.07.2020

उनवान

गिरधारीलाल उर्फ धनजी आयु 53 साल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी मजार की पहली गली, बजरंग बस्ती, सकतपुरा कोटा।

—वादी—

—बनाम—

1. छीतरलाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जगंलात की चौकी वाला रोड, सकतपुरा कोटा,
2. नन्दलाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति गूर्जर निवासी टोडीपाडा ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
3. पप्पू पुत्र श्री प्रभूलाल जाति गूर्जर निवासी टोडीपाडा ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
4. छीताबाई पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नी श्री रामबख्श जाति गूर्जर निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम विनोदकलॉ तहसील सांगोद,
5. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —प्रतिवादीगण—

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :—

1. श्री दिनेश कुमार गौतम एडवोकेट, नरेश कुमार गौतम एडवोकेट(वकील वादी)
2. श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5)
3. पैरोकार सरकार

——:: निर्णय ::—— दिनॉक :— 01.12.2020

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी के तन्हा खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 58 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर 90 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नं[illegible] रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नंबर 93 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 464/[illegible] रकबा 0.76 हैक्टर कुल किता 6 की कुल 3.75 हैक्टर आराजी वाके ग्राम माछल्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। प्रार्थी का वास्तविक नाम "गिरधारीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल" है किन्तु प्रार्थी का घर का नाम "धनजी" भी है। इस प्रकार प्रार्थी को गिरधारीलाल व धनजी दोनों ही नामों से जाना जाता है। उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

अर्थात् वादी के हैं। प्रार्थी के भामाशाह कार्ड, आधारकार्ड, मतदाता कार्ड, स्कूल टी.सी., राशनकार्ड, पेनकार्ड, जन आधारकार्ड, बैंक पासबुक, विकलांग प्रमाण पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम "गिरधारीलाल" ही अंकित है। राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के नाम एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में अंकित वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण वर्ष 2015 में भी वादी को राज्य सरकार से मुआवजा राशि प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पडा था तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्र पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रार्थी को फसल खराबे की मुआवजा राशि का वादी को भुगतान करने के लिए शाखा प्रबन्धक कोपरेटिव बैंक सांगोद को आदेश पारित फरमाया गया था। वादी दिनांक 26.06.2020 को अपने खाते एवं कब्जेकाश्त की उपरोक्त आराजी पर कृषिऋण प्राप्त करने के लिए स्टेट बैंक सांगोद गया तो वहॉ के अधिकारियों ने राजस्व रिकार्ड व आधार कार्ड में समान नाम नहीं होने के कारण बैंकऋण स्वीकृत करने में असमर्थता व्यक्त की व राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करवाने के बाद ही ऋण स्वीकृत करने की राय दी। राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरूस्ती नहीं की गई तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार सांगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। वादकारण दिनांक 26.06.2020 को स्टेट बैंक सांगोद के बैंक अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाये बिना वादी को बैंक ऋण स्वीकृत नहीं करने की बात कहने पर उत्पन्न हुआ। अतः माल ग्राम माछल्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त खसरा नंबर 58 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर 90 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नंबर 92 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नंबर 93 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 464/69 रकबा 1.76 हैक्टर कुल किता 6 की कुल 3.75 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम 'गिरधारीलाल' अंकित किया जावें।

वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 द्वारा जवाबदावा इकबाली प्रस्तुत कर दावा वादी डिक्री करने में सहमति व्यक्त की तथा राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार सांगोद द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का नाम दुरूस्त करने में सहमति व्यक्त की तथा प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं होना व्यक्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकल करने के उपरान्त दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

अतः दावा वादी स्वीकार [illegible] जाते हैं कि माल ग्राम माछल्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त खस[illegible]बर [illegible] रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर 90 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 91 [illegible] रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नंबर 93 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं[illegible]टर कुल किता 6 की कुल 3.75 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के घरेलू नाम [illegible]नजी' के स्थान पर वादी का वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

नाम 'गिरधारीलाल' अंकित किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:14 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

निर्णय बईजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

प्रकरण संख्या 153/2020 तारीख दायरा 15.07.2020

उनवान

गिरधारीलाल उर्फ धनजी आयु 53 साल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी मजार की पहली गली, बजरंग बस्ती, सकतपुरा कोटा।

—वादी—

—बनाम—

6. छीतरलाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जगंलात की चौकी वाला रोड, सकतपुरा कोटा,
7. नन्दलाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति गूर्जर निवासी टोडीपाडा ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
8. पप्पू पुत्र श्री प्रभूलाल जाति गूर्जर निवासी टोडीपाडा ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
9. छीताबाई पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नी श्री रामबख्श जाति गूर्जर निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम विनोदकलॉ तहसील सांगोद,
10. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —प्रतिवादीगण—

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :—

4. श्री दिनेश कुमार गौतम एडवोकेट, नरेश कुमार गौतम एडवोकेट(वकील वादी)
5. श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 5)
6. पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:30:14 IST
Reason: SelfAttested

दिनॉक :— 01.12.2020

आज यह मुकदमा [illegible] रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री दि[illegible] जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम माछल्या तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त खसरा नंबर 58 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

90 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नंबर 92 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नंबर 93 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 69 रकबा 1.76 हैक्टर कुल किता 6 की कुल 3. 75 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के घरेलू नाम 'धनजी' के स्थान पर वादी का वास्तविक नाम 'गिरधारीलाल' अंकित किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

आज दिनांक 01.12.2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:14 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद